कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांकः— 17821 दिनांकः— 27/01/23

1. श्री बनवारी, यादू उर्फ यादराम, रामजीलाल उर्फ रमजू,
लल्लूराम, सिब्बू पुत्रान् श्री गोविन्दराम
2. श्रीमती बादमी पत्नि स्व. श्री होतीराम
3. श्री मुकेश कुमार, विनोद कुमार पुत्रान् होतीराम
निवासियान् तूलेड़ा, जिला अलवर

विषय :– खसरा नम्बर 1472, 1473, 1474 ग्राम तूलेड़ा तह0 व जिला अलवर क्षेत्रफल 1.63 हैक्टेयर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा खसरा नम्बर 1472, 1473, 1474 ग्राम तूलेड़ा तह0 व जिला अलवर क्षेत्रफल 1.63 हैक्टेयर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 05.12.2022 के निर्णयानुसार ले–आउट प्लान स्वीकृति के मध्य बाह्य विकास शुल्क राशि 16,30,000/–रुपये जर्ये रसीद संख्या 3186/9 दिनांक 12.01.2023 एवं स्वतन्त्र आवास व प्लाटेड डवलपमेन्ट योजना में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों के एवज में राशि 48,11,034/–रू0 जर्ये रसीद सं0 3186/10 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा न्यास कोष में जमा करा दी गई है। अतः ले–आउट प्लान निम्न शर्तो के स्वीकृत किया जाता है :–

01. आन्तरिक विकास के मध्य रखे गये 12.5 प्रतिशत में आवासीय भूखण्ड सं0 12, 17, 18, 20, 21, 45, 49 क्षेत्रफल 1097.60 वर्गमीटर एवं इन्फोर्मल शॉप नं0 S-1, S-2, S-3, S-13 क्षेत्रफल 36.00 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1133.60 वर्गमीटर तब तक आवेदक द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, जब तक की विकास कार्य पूर्ण नही हो जाता एवं विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मौके पर सत्यापन होने के पश्चात् उक्त भूखण्डों को रहन मुक्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 11.01.2023 में अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।
02. आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।
03. राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी टाऊनशिप पॉलिसी व प्रचलित भवन विनियमों के दिये गये निर्देशों की विकासकर्ता को पालना करनी होगी।
04. राज्य-सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के अनुसार टेलीकॉम इन्फास्ट्रक्चर यथा मोबाईल टावर हेतु नियमानुसार हेतु भूमि आरक्षित करना आवश्यक होगा।
05. राज्य सरकार/न्यास द्वारा देय राशि की मांग की जाती है तो जमा करानी होगी।
06. नियमानुसार भूखण्डो के पट्टे प्राप्त कर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
07. टाऊनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार योजना का विकास कार्य 18 माह में पूर्ण करना होगा। नियमानुसार पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
08. स्वीकृत योजना का (RERA) में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
09. एकीकृत भवन विनियम/टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार वर्षा जल संरक्षण व एस.टी.पी. का नियमानुसार प्रावधान करना होगा।
10. ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र की भूमि को डवलपर द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा।

18/01/23	19.1.23	20/01/23	
सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, अलवर	उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, अलवर	अधिशाषी अभियंता नगर विकास न्यास, अलवर	सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :–
प्रतिलिपिः– दिनांकः–

01. अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर को वास्ते सूचनार्थ

27.1.23
उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, अलवर

31-C

आन्तरिक विकास कार्य हेतु कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्ड सं0 12, 17, 18, 20, 21, 45 व 49 जिसका क्षेत्रफल 1097.60 व.मी. एवं इन्फॉर्मल शॉप नं0 S-1, S-2, S-3, S-13 क्षेत्रफल 36.00 व.मी. है, न्यास के पक्ष में रहन रखा गया है। आन्तरिक विकास पूर्ण होने पर न्यास द्वारा मौके से सत्यापन के पश्चात रहन मुक्त किये जायेगे।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, अलवर

उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, अलवर

अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, अलवर

सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

AREA CALCULATIONS		
PARTICULARS		
TOTAL AREA OF THE SCHEME	16300.00 SQM.	100 %
AREA UNDER RESIDENTIAL PLOTS	8773.96 SQM.	53.83%
AREA UNDER IN INFORMAL	252.37 SQM.	1.55%
AREA UNDER GREEN	1500.65 SQM.	9.21%
AREA UNDER FACILITY & P.U.	402.90 SQM.	2.47%
AREA UNDER SECTOR ROAD 12 MTR.	1620.90 SQM.	9.94 %
AREA UNDER ROAD	3749.22 SQM.	23.00 %

TOTAL NO. OF RESIDENTIAL PLOT'S = 56 NOS.

INFORMAL SHOP = 13 NOS.

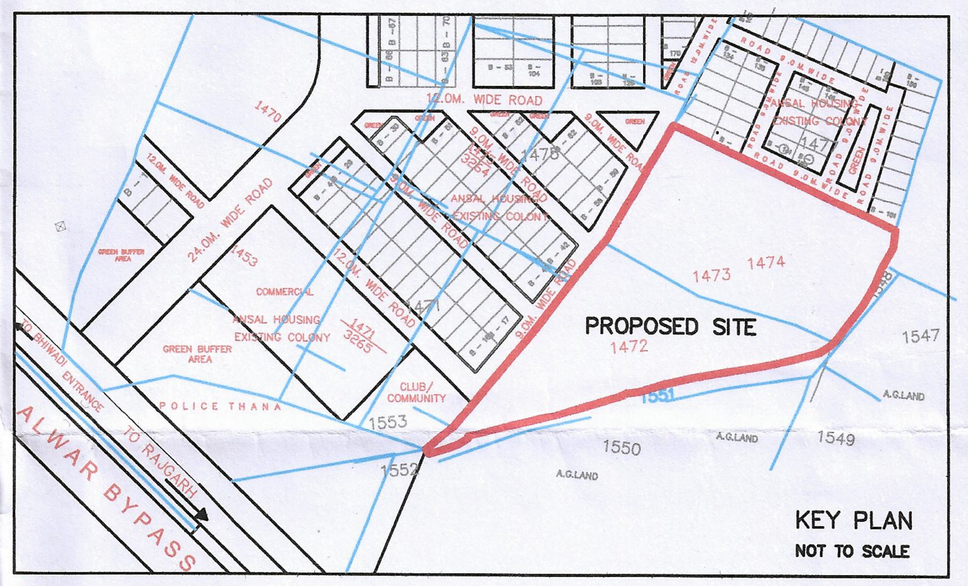

KEY PLAN

SUBMISSION DRG.

PROJECT

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.-
1472 (0.80) , 1473 (0.01) , 1474 (0.82)
VILLAGE TULERA TEH. ALWAR
DISTT. - ALWAR (RAJ.)

TITLE

LAYOUT PLAN

N

DEALT-

CHECKED BY-

DATE - OCTOBER-2022

DRG NO.

SCALE - 1:500

BANPHOOL RAGHUVANSHI
Architect
CA/93/16175

ARCHITECT

OWNER